सत्यमेव जयते

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

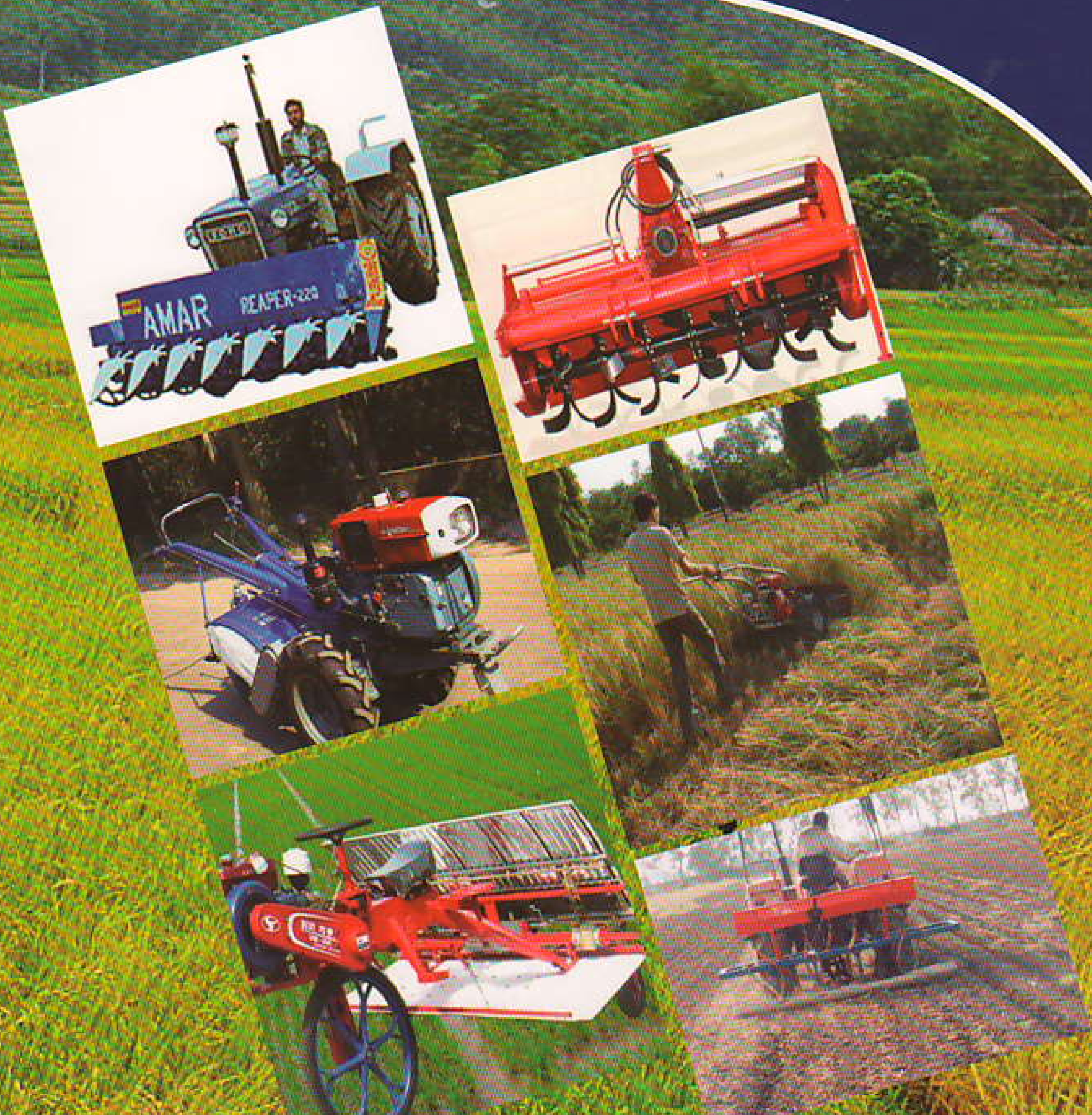

कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना
(भूमि संरक्षण निदेशालय)

कार्यान्वयन अनुदेश

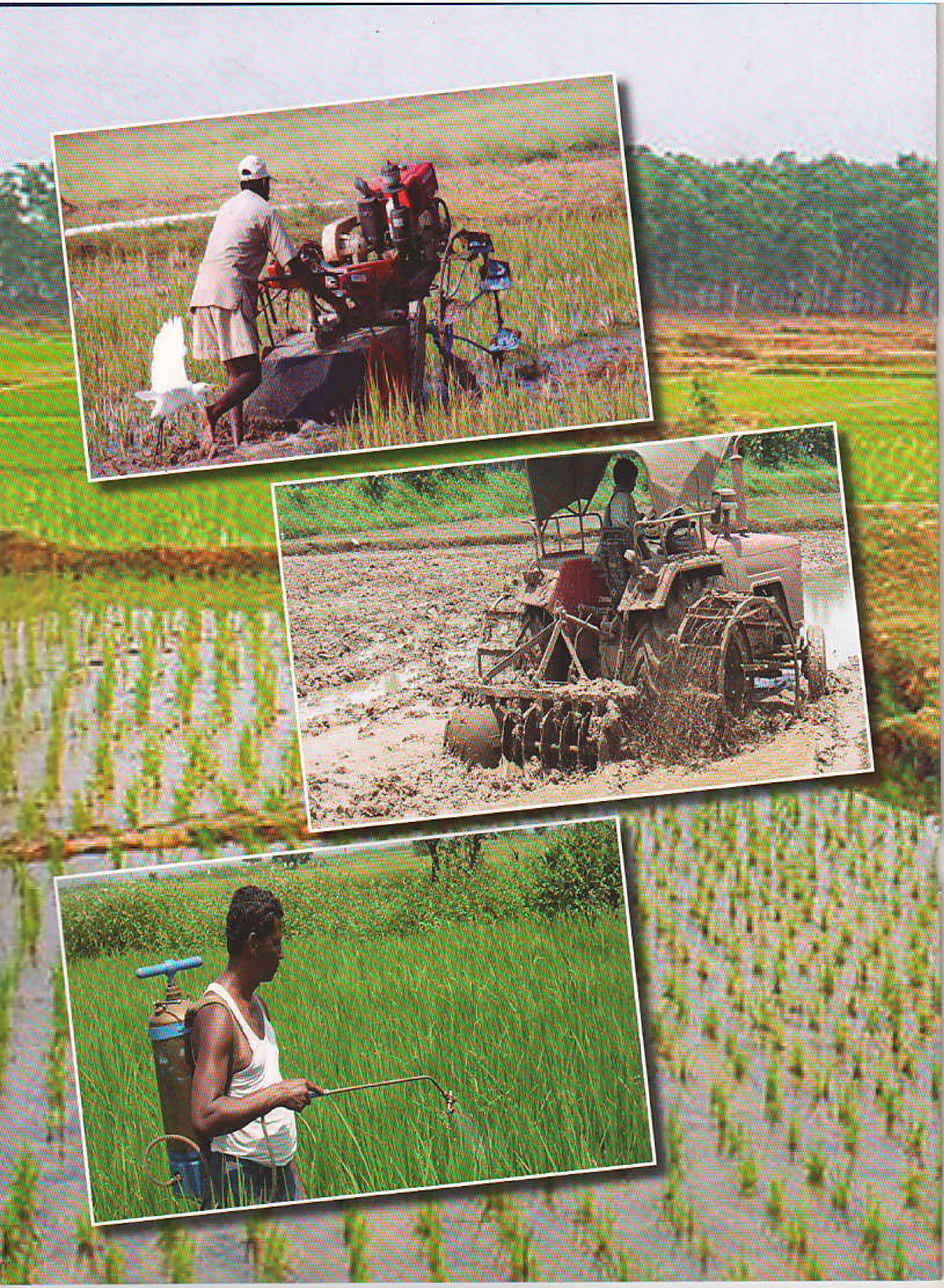

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड सरकार

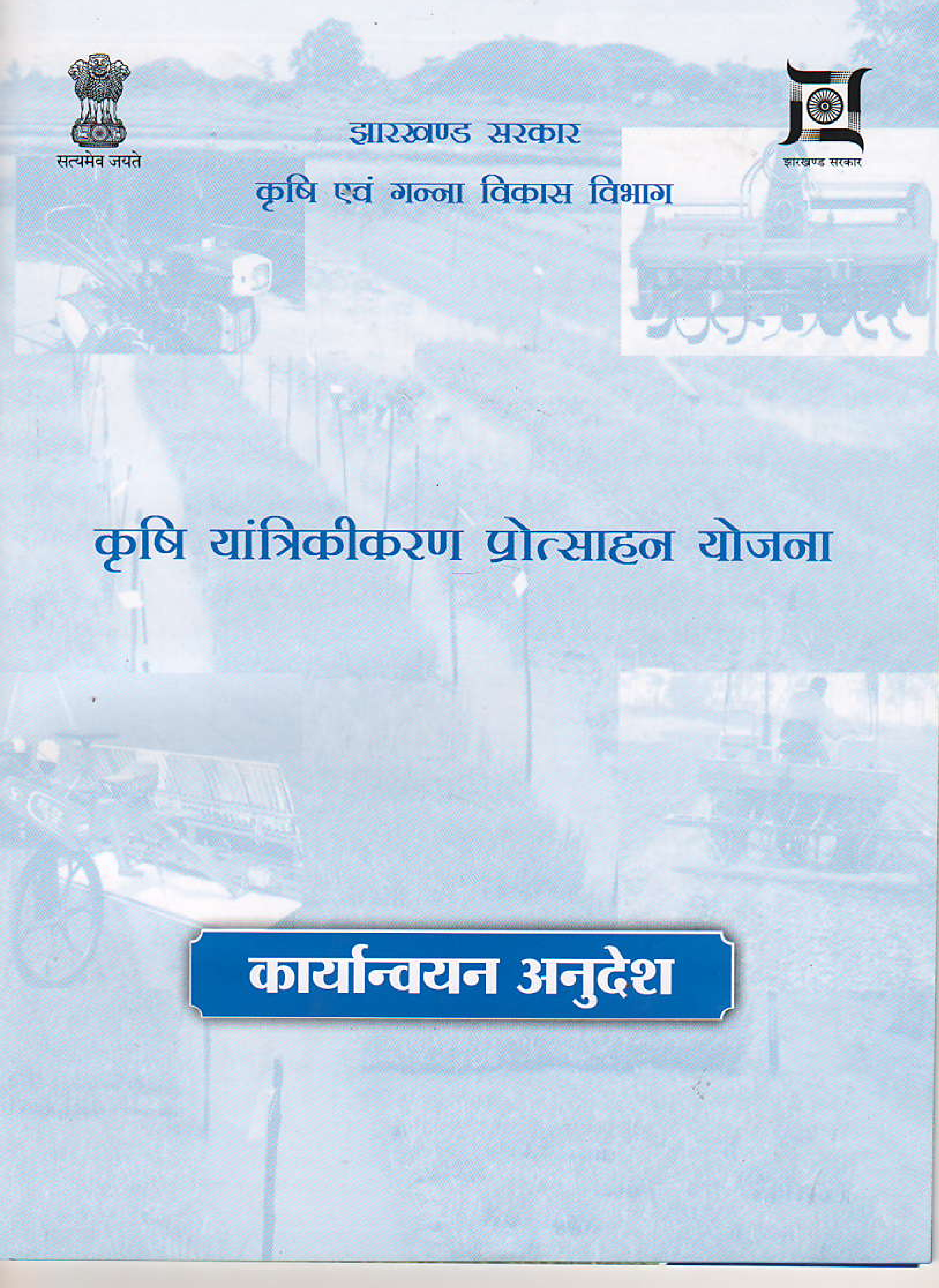

कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना

कार्यान्वयन अनुदेश

विषय-सूची

1.	प्राक्कथन	3
2.	कृषि यांत्रिकीकरण की अवधारणा :	3
3.	उद्देश्य :	3
4.	क्षेत्र, विस्तार एवं आरंभ	4
5.	स्वरूप :	4
6.	कृषक / संस्था के चयन के लिए मापदण्ड:	6
7.	प्रक्रिया :	7
8.	अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विशिष्टता :	10
9.	प्रचार–प्रसार :	11
10.	कृषि उपकरण वितरण आयोजन :	11
11.	कृषक प्रशिक्षण :	12
12.	तकनीकी हस्तान्तरण एवं प्रत्यक्षण अभियान :	12
13.	अनुश्रवण :	12
14.	अन्यान्य :	14
	परिशिष्ट–1क (कंडिका–4.1)	15
	परिशिष्ट–1ख (कंडिका–4.1)	17
	(परिशिष्ट–2)(कंडिका 6.11 / 7.2.2)	18
	(परिशिष्ट–3)(कंडिका 5.2.3)	19
	(परिशिष्ट–4) (कंडिका 7.2.3)	21
	(परिशिष्ट–5) (कंडिका 5.2.5)	22
	परिशिश्ट–6 (कंडिका 5.2.8)	23
	(परिशिष्ट–7) (कंडिका 7.2.4)	23
	(परिशिष्ट–8) (कंडिका 13.2)	25
	(परिशिष्ट–9) (कंडिका 7.4.4)	26
	(परिशिष्ट–10) (कंडिका 7.6.3)	27
	(परिशिष्ट–11) (कंडिका 7.6.5)	28
	(परिशिष्ट–13) (कंडिका 10.1.4)	29
	(परिशिष्ट–12)	30
	(परिशिष्ट–14)	31
	समेकित विपत्र का प्रारुप	31

1. प्राक्कथन

1.1 आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि उत्पादकता में स्थिरता एवं बढ़ोतरी की जा सकती है। झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ फसलों के पिछात बुआई से उत्पादकता प्रभावित होती है। आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्रो/ उपकरणों के व्यवहार से समय पर खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई एवं समय पर कटनी में मदद मिलती है। साथ ही, खेत की तैयारी में समय एवं लागत में बचत होती है।

झारखण्ड राज्य में कृषि उपकरणों के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ भूमि का असामान्य आकार, पथरीली भूमि, ढलवा भूमि, अधिक असिंचित भूमि, वर्षा आधारित खेती, सामाजिक–आर्थिक असमानता, कृषि उपकरणों का अभाव, नवीन उपकरणों की जानकारी का अभाव तथा बेरोजगारी, इत्यादि जैसी अनेक समस्याएँ हैं। ऐसी समस्याऐं प्रेरित करती है कि राज्य के कृषकों के बीच आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग हेतु एक कारगर रणनीति बनायी जाए, जिसमें कृषि उपकरणों के क्रय पर व्यक्तिगत अनुदान के अतिरिक्त कृषि उपकरणों का बैंक बनाने हेतु अनुदान का प्रावधान हो ताकि राज्य के कृषक लाभान्वित हो सकें।

1.2 आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आदि प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के अलावा कई प्रदेश अग्रिम पंक्ति की ओर अग्रसर है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना नितांत आवश्यक है ताकि कृषकों को कम लागत एवं कम समय में अधिक लाभ प्राप्त हो सके और राज्य कृषि के क्षेत्र में सदैव के लिए आत्मनिर्भर हो सके।

2. कृषि यांत्रिकीकरण की अवधारणा :

2.1 आधुनिक युग में कृषि यांत्रिकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें यांत्रिकीकरण की सहायता से कृषि कार्यों हेतु मजदूर न मिलने की समस्या से बहुत हद तक मुक्त हो सकता है एवं कृषि उपज की भी बढ़ोत्तरी होती है। इससे समय की भी बचत होगी। मिश्रित खेती एवं बहुफसल लेने की लिए जहाँ पशुचालित कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग सम्भव है।

उन्नत कृषि यंत्रों की सहायता से कृषि उपज में लगभग 20–25% की उपज में वृद्धि सम्भव है। उन्नत कृषि यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य का सम्पादन समय पर किया जा सकता है। समय पर बुआई, कटाई, अनाजों की सफाई, इत्यादि के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि विकास के क्षेत्र में वरदान साबित हो सकता है।

2.2 झारखण्ड राज्य के कृषकों की आर्थिक अवस्था, आवागमन के रास्ते, भूमि की बनावट सभी प्रतिकूल है। अतः ऐसी योजना विकसित की जानी है, जिससे यहाँ के लधु एवं सीमांत कृषक ज्यादा से ज्यादा उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सके। इसके लिए कृषकों में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लानी भी आवश्यक होगी।

3. उद्देश्य :

3.1 कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा इनकी उपयोगिता से अवगत कराना।

3.2 उन्नत कृषि यंत्रों का गांव – गांव में जाकर प्रत्यक्षण करना ताकि कृषकों को ऐसे यंत्रों की उपयोगिता एवं प्रभाव की जानकारी हो सके, जिसके फलस्वरूप कालक्रम में ऐसे उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सके।

3.3 उन्नत कृषि यंत्रों के बेहतर इस्तेमाल, रख – रखाव एवं साधारण मरम्मति संबंधी कृषकों को कृषकों को प्रशिक्षित करना ताकि कृषक स्वयं ऐसे उपकरणों का संचालन एवं संधारण कर सके।

3.4 नये–नये कृषि यंत्रों को प्रचारित कर उनकी उपयोगिता से कृषकों को परिचित कराना ताकि भूमि की उत्पादकता, उपज एवं कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी की जा सके।

3.5 बड़े एवं अति उन्नत कृषि यंत्रों के बैंक की स्थापना करना ताकि कृषक ऐसे यंत्रों की उपयोगिता से लाभान्वित हो सके।

3.6 उन्नत कृषि यंत्रों के अधिकाधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि कार्यों की लागत में कमी लाना तथा कम समय मे कृषि कार्यो को संपन्न करते हुए अधिक लाभ अर्जित करना।

4. क्षेत्र, विस्तार एवं आरंभ

4.1 यह योजना **झारखण्ड** के सभी जिलों में लागू होगी। यह अनुदेश कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु राज्य एवं सभी केन्द्र प्रायोजित योजनायों के कार्यान्वयन में सामान्य रुप से लागू होगा। इस योजना के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में वर्णित उपकरण कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाऐंगे।

अनुदान की सीमा विभाग द्वारा कभी भी परिर्वतित की जा सकेगी।

4.2 कृषि अभियंत्रण एवं फार्म मशीनरी निदेशालय के गठन होने तक इस योजना का नोडल पदाधिकारी निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को बनाया गया है।

4.2.1 निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड फार्म मशीनरी परीक्षण के लिये प्राधिकृत परीक्षण संस्थानों द्वारा सत्यापित मानक, आई.एस.ओ./ बी.आई.एस./ प्रमाणित कृषि यंत्रों के निर्माताओं/ अधिकृत बिक्रेताओं/ आपूर्तिकताओं/को सूचीबद्ध करते हुए उसकी अद्यतन सूची सभी संबधित पदाधिकारीगण को उपलब्ध कराऐंगे।

4.2.2 संबंधित जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी, इत्यादि का यह दायित्व होगा कि विभाग द्वारा निर्धारित जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को कृषि योग्य भूमि के आधार पर विखंडित करते हुये प्रखण्डवार लक्ष्य का निर्धारण करेंगे एवं इसकी सूचना उपायुक्त /उप विकास आयुक्त/अध्यक्ष, जिला परिषद/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/ सांसद/विधायक/पंचायत प्रमुख/नगर निकाय एवं पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ कृषि विज्ञान केन्द्र, इत्यादि को देंगे।

4.2.3 बैंक संबद्व कृषि यंत्रों के लक्ष्य को भी प्रखण्डवार विखंडित कर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/लीड बैंक पदाधिकारी/नबार्ड/जिला सहकारिता पदाधिकारी को संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी राज्य सरकार से वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा देंगे।

5. स्वरूप :

राज्य के कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए द्विस्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण योजना तैयार की गयी, जो निम्न प्रकार से हैः–

5.1 कृषि यंत्रों का व्यक्तिगत अनुदान पर वितरणः_

5.1.1 राज्य के कृषकों के बीच आधुनिक कृषि यंत्र, यथा – पावर टिलर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, पम्प सेट, रोटावेटर, हस्त चालित कृषि यंत्रों का टूल–किट, गटोर, पावर स्प्रेयर, आदि व्यक्तिगत अनुदानित दर पर वितरित किए जाऐंगे।

इसके लिये आवेदन कृषकों से **परिशिष्ट–2** में प्राप्त किए जाऐंगे।

5.1.2 अनुदान के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना एवं राज्य योजना की अलग –अलग अथवा दोनों सम्मिलित रूप से योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के कृषकों की क्रय शक्ति को ध्यान में रख कर 50 से 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा ताकि राज्य के कृषक ऐसे कृषि यंत्रों का आसानी से क्रय कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कृषकों को ऐसे यंत्रों का लाभ प्राप्त हो सके।

शेष राशि की व्यवस्था कृषकों को अपने संसाधनों/बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी।

5.1.3 धान की फसल राज्य में मुख्य फसल होती है। इसके लिए मिनी राइस मिल की स्थापना प्रखण्ड स्तर पर या जलछाजन समितियों, लैम्पस, पैक्स, सहकारी समिति/ निबंधित एन.जी.ओ./ कृषि विज्ञान केन्द्रों, इत्यादि के द्वारा करायी जाएगी, जिससे अच्छे चावल का प्रसंस्करण कम लागत पर किसान कर सकें।

5.1.4 वितरित किए जाने वाले यंत्रों का जिलावार वितरण आकलन उक्त जिले में कृषि भूमि, कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर, कृषकों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर राज्य स्तर से किया जाएगा।

5.2 प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित कर किराये पर परिचालन :

5.2.1 मध्यम एवं बड़ी लागत के कृषि यंत्र, यथा ट्रैक्टर, रोटावेटर, डोजर, लेजर लेवलर, जीरो सीड ड्रील, पैडी ट्रांसप्लांटर, पावर स्प्रेयर, कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर, राइसमिल, आदि के प्रखण्ड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित किए जाऐंगे ताकि उक्त प्रखंड के इच्छुक कृषक ऐसे उपकरण बैंक में उपलब्ध कृषि यंत्रों का मामूली भाड़े पर इस्तेमाल कर सके, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि होने के साथ – साथ कृषि लागत में कमी तथा समय की बचत होगी।

5.2.2 प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना उक्त क्षेत्र में कार्यरत सक्रिय जलछाजन समिति/ लैम्पस/पैक्स/सहकारी समिति/निबंधित गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्तिगत सक्षम कृषकों/ बेरोजगार कृषि स्नातक नवयुवकों के द्वारा की जा सकेगी।

5.2.3 **प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक** की स्थापना हेतु सुपात्र, इच्छुक एवं अनुभवी जलछाजन समितियों /स्वयं सहायता समूहों/ उपभोक्ता समूहों/ कृषक मित्रों /लैम्पस/पैक्स/ सहकारी समिति/ निबंधित एन..जी. ओ./ कृषि विज्ञान केन्द्रों, इत्यादि से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।

प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु **परिशिष्ट–3** में आवेदन आमंत्रित करते हुए सर्वश्रेष्ठ, सक्षम, इच्छुक एवं अनुभवी संस्था/व्यक्ति का उपायुक्त/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जायेगा, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

इस समिति में सामान्यतरू जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकार/जिला सहकारिता पदाधिकारी/राज्य स्तर से मनोनीत एक सदस्य एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी सदस्य होंगे।

5.2.4 चयनित प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक संस्था को क्रय किए गए उपकरण के विरूद्व 75 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य होगा, किन्तु यदि कालक्रम में यह पाया जाता है कि उक्त संस्था के द्वारा कृषकों को सुगमतापूर्वक भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने में आना–कानी की जा रही है अथवा कृषि यंत्रों का दुरूपयोग किया जा रहा है तो दिए गए 75 प्रतिशत अनुदान में से 25 प्रतिशत अनुदान की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत की जाएगी।

5.2.5 चयनित संस्था के द्वारा भाड़े पर उपलब्ध कराए गए उपकरणों का त्रैमासिक प्रतिवेदन **परिशिष्ट–5** में भूमि संरक्षण पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके द्वारा जिले के समस्त **प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों** के ऐसे प्रतिवेदनों को संकलित करते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

5.2.6 इस योजनान्तर्गत प्राप्त किए गए उपकरणों पर यह स्पष्ट रूप से सुगोचर स्थान पर अंकित कराया जाएगा कि इन उपकरणों को राज्य सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान पर किस **प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक** हेतु उपलब्ध कराया गया है।

5.2.7 उपकरण बैंक अन्तर्गत संधारित कृषि यंत्रों को भंडारित किए जाने के स्थान पर **'प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक'** सूचना पट्ट सुगोचर स्थान पर लगाया जाएगा, जिसमें उपकरण वार किराये की दरें स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी, ताकि कृषकों को उनकी जानकारी मिल सके।

ऐसे भंडारण स्थल के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अथवा रू. 5.00 लाख, जो भी कम हो, का अनुदान अनुमान्य होगा, बशर्ते इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त स्थल पर भूमि उपलब्ध हों।

5.2.8 भूमि संरक्षण पदाधिकारी /परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उपकरण बैंक संचालक के द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर उपकरण व्यवहार दर का निर्धारण कुछ ऐसे किया जाएगा ताकि जहां एक ओर इन उपकरणों का बेहतर संधारण निर्बाधित रूप से हो, वही दूसरी ओर इच्छुक कृषकों को ऐसे उपकरणों का प्रचलित बाजार दरों से कम अनुमान्य भाड़ा देना पड़े ताकि उनके द्वारा इस व्यवस्था का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

चयनित संबंधित संस्था/व्यक्ति के द्वारा भूमि संरक्षण पदाधिकारी /परियोजना निदेशक, आत्मा के साथ इस प्रयोजन हेतु एकरारनामा **परिशिष्ट–6** के अनुसार किया जायेगा, ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति सफलता पूर्वक हो सके।

5.2.9 प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम रू. 15.00 लाख अथवा 75 प्रतिशत, दोनो में से जो भी कम हो, का अनुदान अनुमान्य होगा, जिसे केन्द्र प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/मैक्रोमैनेजमेंट योजना इत्यादि) एवं राज्य योजना से आवश्यकतानुसार वहन किया जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के कोष से 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

6. कृषक/संस्था के चयन के लिए मापदण्ड:

6.1 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन–जाति/ लघु/सीमान्त/महिला कृषकों के सुपात्र, इच्छुक एवं अनुभवी कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

6.2 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन–जाति /लघु / सीमान्त/महिला कृषकों का 30 प्रतिशत चयन का प्रयास किया जाएगा ताकि कुल कर्णांकित राशि का 30 प्रतिशत राशि का उपयोग संबंधित श्रेणी के कृषकों के लिए हो सके।

6.3 कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.4 जिन कृषकों को पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है, उन्हें (छोटे/मानव एवं पशु चालित कृषि यंत्र एवं एक दूसरे के पूरक/सहायक कृषि यंत्र को छोड़ कर) समान यंत्र के लिए पुनः चयनित नहीं किया जाएगा।

6.5 योजनाओं के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था/नगर निकाय के प्रतिनिधिगण की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था/नगर निकाय के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/नगर निकाय सदस्य/पंचायत प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य आदि) की अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है।

6.6 सहायक/पूरक कृषि यंत्र प्राप्ति के लिए मुख्य कृषि यंत्र लाभार्थी के पास होना अनिवार्य होगा।

6.7 कृषकों का चयन "पहले आओ–पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

6.8 निम्नवर्णित कृषि उपकरणों के क्रय के लिए ऐसे कृषकों का प्रथमतः अनुदान दिया जाएगा, जिनके पास निम्नांकित न्यूनतम भूमि का स्वामित्व हो ताकि ऐसे उपकरणों पर दिए गए अनुदान का सदुपयोग हो तथा कृषक ऐसे उपकरणों का भरपूर इस्तेमाल कर सकें :

क्रमांक	उपकरण	न्यूनतम भूमि (एकड़ में)
1	25 एच.पी. तक का ट्रैक्टर	2
2	25 एच.पी. से अधिक का ट्रैक्टर	5
3	पावर टिलर	1
4	कम्बाईण्ड हार्वेस्टर	5

6.9 रू. 25,000.00 तक की लागत के छोटे कृषि यंत्रों के क्रय के क्रम में जमीन संबंधी कागजात की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/कर्मचारी/क्षेत्र पर्यवेक्षक या प्राधिकृत कर्मचारी से पहचान अवश्य करायी जायेगी।

7. प्रक्रिया :

7.1 कृषि यंत्रों के वितरण का लक्ष्य निर्धारण :

7.1.1 प्रत्येक वर्ष विभागीय स्तर पर निदेशक कृषि/ निदेशक भूमि संरक्षण/ निदेशक उद्यान/ निदेशक समेती एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए विधिवत् क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों का उपलब्ध अनुदान राशि को दृष्टिगत रखते हुए जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, जिस क्रम में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन–जाति /लघु / सीमान्त/महिला कृषकों के हितों को यथा संभव प्राथमिकता दी जायेगी।

7.1.2 निर्धारित किए गए लक्ष्य में स्थानीय आवश्यकतानुसार संबंधित निदेशालय के स्तर से आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना ऐसा संशोधन किए जाने के एक सप्ताह के भीतर विभाग को दी जायेगी।

7.2 आवेदन की प्राप्ति :

7.2.1 जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी/ जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा संबंधित जिले हेतु उनके कार्यालय के लिए निर्धारित कृषि यंत्रों के वितरण के लक्ष्य से 150 प्रतिशत अधिक आवेदन पत्र इच्छुक एवं सुपात्र कृषकों से प्राप्त किए जाऐंगे।

7.2.2 उपर्युक्त क्रम में कृषकों से कृषक मेला एवं विशेष शिविर, यथा – कृषि विकास उत्सव/कर्मशाला, आदि में भी आवेदन पत्र **परिशिष्ट–2** में प्राप्त किये जायेंगे।

7.2.3 आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा आवेदक कृषक को प्राप्ति रसीद **परिशिष्ट–4** दी जायेगी, जिस पर आवेदन का क्रमांक, दिनांक एवं कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम/पद नाम एवं हस्ताक्षर अंकित होगा। आवेदन की प्राप्ति रसीद क्रमानुसार दिया जायेगा।

7.2.4 भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में एक समेकित पंजी **परिशिष्ट–7** में संधारित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख किया जाएगा।

7.2.5 कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराए जाऐंगे। सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ/भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कृषि यंत्रों हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराए जाऐंगे।

आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेवसाईट www. jharkhandsoil.gov.in एवं www.sameti.org पर भी उपलब्ध कराया जायेगा ताकि कृषकों को आवेदन पत्र आसानी से उपलब्ध हो सके।

7.3 आवेदन की जाँच:

7.3.1 आवेदन की जाँच सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ/भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत कर्मी द्वारा की जायेगी।

7.3.2 आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 15 दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच कृषक के निवास के ग्राम में जाकर स्थल पर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक कृषक है तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवश्यकता है तथा मांग किए गए यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

7.3.3 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषि यंत्रों की आपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच शत–प्रतिशत हो गई है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जाँच के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह में की जायेगी।

7.3.4 अद्यतन स्थिति पर प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 वीं तारीख तक हार्ड कापी एवं ई–मेल के माध्यम से राज्य नोडल पदाधिकारी सह निदेशक, भूमि संरक्षण झारखंड, रॉची को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7.4 बैंक संपोषित कृषि यंत्र :

7.4.1 संबंधित पदाधिकारी बैंक संपोषित कम्बाईन हार्वेस्टर/ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों की 15 दिनों के अन्दर जाँचकर अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारण पत्र के साथ भिजवाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस प्रयोजन हेतु संधारित पंजी में विधिवत संधारित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किस बैंक में कितने आवेदन किस यंत्र की आपूर्ति हेतु भेजे गये हैं।

7.4.2 विभिन्न बैंकों के द्वारा लंबित रखे गए आवेदन पत्रों की उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स की बैठक/टास्क फोर्स की बैठक/विशेष बैठक में समीक्षा करते हुए स्वीकृति प्रदान करने हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी।

7.4.3 उपायुक्त के स्पष्ट निदेश के बावजूद किसी सुपात्र आवेदक के आवेदन पत्र की स्वीकृति में आना – कानी करने वाले बैंक की विवरणी प्रत्येक माह भूमि संरक्षण निदेशालय को प्रतिवेदित की जाएगी, जिसमें कृषि यंत्रवार विवरणी, बैंक का नाम, लंबित आवेदन की सं., लंबित अवधि, आदि अंकित रहेगी ताकि राज्य स्तर पर आयोजित बैंकर्स की बैठक में इसका निराकरण कराया जा सके।

7.4.4 इच्छुक कृषक द्वारा यदि स्वयं सीधे संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य महंगे यंत्र का आवेदन पत्र परिशिष्ट–9 में दिया जाता है तो ऐसे आवेदन भी मान्य होंगे, परन्तु बैंक द्वारा जमीन/अन्य सूचना की सत्यता की जाँच हेतु यदि आवेदन पत्र लौटाया जाता है तो सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी द्वारा इस क्रम में जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ भूमि संरक्षण पदाधिकारी पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से पंजी में संधारित कर ही बैंक को लौटाया जाएगा ताकि यह स्पष्ट रहे कि संबंधित बैंक को कितने आवेदन किस तिथि को भेजे गए हैं एवं इसका अनुश्रवण भी किया जा सके।

7.4.4 शाखा प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन को 15 दिनों के अन्दर स्वीकृत/अस्वीकृत करते हुए विशेष दूत से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी को दी जाएगी, जिसे वे अपने कार्यालय में रखी संचिका में क्रमवार संधारित करेंगे।

7.4.5 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि को आधार मानकर भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान की राशि स्वीकृत करेंगे।

7.5 आवेदन की स्वीकृति :

7.5.1 जाँच में अनुदान के लिये उपयुक्त पाये गए आवेदन पत्रों के विरूद्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति पत्र (परिषिश्ट–10) निर्गत किया जायेगा। इस स्वीकृति पत्र में कृषकों को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

7.5.2 आवेदन पत्रों को **"पहले आओ पहले पाओ "** के सिद्धांत पर स्वीकृत किया जायेगा।

7.5.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिले के लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत आवेदन पत्र के अनुदान भुगतान के बाद शेष स्वीकृत आवेदन पत्रों के विरूद्व अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार उपकरण वितरित करते हुए अनुदान भुगतान किया जायेगा।

7.6 अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :

7.6.1 योजना के लिए पात्र कृषक स्वीकृति पत्र के आलोक में कृषक मेला/प्रदर्शनी में किसी भी प्रतिष्ठान से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे।

7.6.2 कृषकों को अपनी इच्छा से किसी भी कंपनी का कृषि यंत्र किसी भी विक्रेता से क्रय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। सामान्यत : अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय–विक्रय कृषक मेला/प्रदर्शनी में किया जायेगा।

7.6.3 कृषक मेला/प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये सभी कंपनियों/डीलरों (विक्रेताओं) को आमंत्रित किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधी निर्णय कृषक मेला/प्रदर्शनी के आयोजन से पूर्व ले लिए जाएँ तथा प्रत्येक कृषक, जो अनुदान की पात्रता रखते है, को स्वीकृति पत्र **परिशिष्ट–10** में कृषक मेला/प्रदर्शनी तिथि के पूर्व निर्गत कर उपलब्ध करा दिया जाए।

7.6.4 कृषक मेला/प्रदर्शनी में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच अगले कृषक मेला/प्रदर्शनी से पूर्व कर ली जाए तथा अगले कृषक मेला/प्रदर्शनी में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।

7.6.5 कृषक मेला/प्रदर्शनी में क्रय किये गये कृषि यंत्रों के सत्यापन के लिये कृषक मेला/प्रदर्शनी में सक्षम पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए, जो कृषि यंत्र के बिक्री संबंधी कैशमेमो पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। इस कैशमेमो में अनुदानित यंत्र स्वीकृति पत्र का प्रसंग भी स्पष्ट रूप से निर्गत ज्ञापांक एवं तिथि के रूप में अंकित रहेगा।

विक्रेता एजेंसी/कृषक इसी कैशमेमो के आधार पर अनुदान का दावा **परिशिष्ट–11** में भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

कैशमेमो में कृषि यंत्र का मेक/मॉडल तथा इंजन संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

7.7 अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :

कृषकों द्वारा क्रए किए गए कृषि यंत्रों के विरूद्व अनुमान्य अनुदान की प्रतिपूर्ति राज्य नोडल पदाधिकारी–सह–निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड/प्राधीकृत पदाधिकारी के द्वारा निम्नांकित विकल्पों के आधार पर की जाएगी :

7.7.1 कृषकों के द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर यंत्र का क्रय करने पर कृषक के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस. द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

7.7.2 कृषकों के द्वारा अनुदानित दर पर यंत्र का क्रय करने पर एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. से विक्रेता को अनुदान की राशि विमुक्त की जायेगी।

7.7.3 बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदने वाले सभी कृषकों के लिए उनके सत्यापित बैंक खाते में अनुदान की राशि एकाउन्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस. से जमा की जायेगी एवं यह चेक संबंधित बैंक शाखा

(जिसमें ऋण लेकर कृषक के द्वारा कृषि यंत्र खरीदा गया है) को कृषक के खाते में जमा करने हेतु भेजा जायेगा।

ऐसे सभी विकल्पों के संबंध में कृषक की इच्छा आवेदन पत्र में प्राप्त की जायेगी।

7.8 अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन:

7.8.1 अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ/भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत कर्मी के द्वारा कृषक के घर जाकर की जाएगी।

7.8.2 कृषक के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैशमेमो पर उल्लेखित क्रम संख्या/इंजन संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता प्रतिवेदन **परिशिष्ट–12** में भूमि संरक्षण पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

परन्तु इस प्रकार की सत्यापन प्रक्रिया के कारण अनुदान का भुगतान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अवधि के उपरांत लम्बित नहीं रखा जायेगा।

7.8.3 अनुदान का भुगतान कृषक मेला/प्रदर्शनी या वितरण के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृषक के घर जाकर क्रय के एक माह बाद एवं पुन: तीन माह के अंदर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।

7.9 धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई:

7.9.1 भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि कृषक के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो कृषक से अनुदान की राशि लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरुद्ध अन्य विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

7.10 लेखा संधारण :

7.10.1 अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रों का लेखा संधारण योजनावार किया जायेगा। कृषकों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र, जिस योजना के विरुद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जाएगा तथा योजनावार केन्द्रांश एवं राज्यादेश के अनुपात के अनुरुप ही अनुदान राशि व्यय किया जायगा।

7.10.2 संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एक ही आवेदन को एक से अधिक योजना में किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जाए।

8. अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विशिष्टता :

8.1 ट्रैक्टर/पावर टीलर/ कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (CFMTTI) से जाँच किये गये अनुमोदित मेक/मॉडल पर ही अनुदान देय होगा।

8.2 60 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर एवं 55 से 125 अश्वशक्ति तक के कम्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान देय होगा। इसके अलावा, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय से गुणवत्ता एवं अनुदान संबंधी समय–समय निर्गत दिशा निर्देश की प्रति पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

9. प्रचार-प्रसार :

9.1 इस योजना के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।

9.2 जिला स्तर पर भी इस योजना के संबंध में कृषकों को जानकारी के लिए फ्लैक्स बोर्ड बनाकर जिला के मुख्य भवनों, यथा जिला समाहरणालय/ भूमि संरक्षण कार्यालय/जिला कृषि कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा कृषि यंत्रों पर दी जानेवाली अनुदान राशि का फ्लैक्स बोर्ड पर अंकित कर प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

9.3 जिला के सभी प्रखण्ड/मुख्यालय/ कृषि विकास शिविर स्थल पर/पंचायत मुख्यालय में भी फलैक्स बोर्ड लगाकर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

9.4 पंचायत स्तर पर पावर टीलर/ कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि एवं कृषि यंत्रों की उपयोगिता के संबंध में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायगा तथा प्रखण्डवार लक्ष्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा तथा प्रचार पर्चे (समंसिमजे) भी वितरित किये जायेंगे, जिससे कृषकों को इसकी जानकरी मिल सके तथा इसका आवेदन संबंधित बैंक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को कृषकों द्वारा उपलब्ध कराया जा सके।

9.5 जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी आकस्मिकता/ प्रचार–प्रसार मद/ अन्य उपलब्ध राशि से प्रचार–प्रसार करेंगे एवं प्रचार पर्चे (leaflets) वितरित करेंगे।

10. कृषि उपकरण वितरण आयोजन :

10.1 जिला स्तर :

10.1.1 विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत कृषि यंत्रों की शत–प्रतिशत उपलब्धि के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ भूमि संरक्षण पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में प्रत्येक माह मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा तथा मेले में षत–प्रतिशत उपलब्धि हेतु उपायुक्त का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

10.1.2 यह सुनिश्चित किया जएगा कि लक्ष्य की उपलब्धि हेतु कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान से संबंधित आवेदन पत्र सरलता से प्राप्त हो जाएँ। इसके लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड के काउन्टर पर भी उपलब्ध कराए जाऐंगे।

आवेदन पत्र भरने में संबंधित प्रखण्ड के कर्मचारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/कृषक मित्रों द्वारा कृषकों को समस्त सहयोग प्रदान किया जाएगा।

10.1.3 बैंकर्स/कृषि यंत्र आपूर्तिकत्ताओं/निर्माताकर्ता की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में भी करायी जाएगी ताकि बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से स्वीकृत किया जा सके तथा पावर टीलर एवं अन्य बैंक संबद्व कृषि यंत्र के आपूर्तिकर्ता कृषकों को ऐसे कृषि यंत्र सरलतापूर्वक उपलब्ध करा सकें।

10.1.4 भूमि संरक्षण पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा ऐसे कृषक, जिन्हें कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाते हैं, की संबंधित आपूर्तिकर्ता/प्रखण्ड कृषि पदाधिकरी/ सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/क्षेत्र पर्यवेक्षक एवं कृषि विभाग के अन्य प्रतिनिधि के साथ फोटोग्राफी करायी जाएगी।

फोटो की हार्ड कॉपी अभिलेख **परिशिष्ट–13** में संधारित करेंगे तथा सॉफ्ट कॉपी भी संधारित रखी जाएगी।

10.2 राज्य स्तर :

10.2.1 राज्य स्तर पर भी कृषक मेला/कृषि यंत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। राज्य स्तर पर कृषि

यंत्रों प्रदर्शनी/प्रत्यक्षण/प्रशिक्षण के आयोजन में देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जाएगा।

प्रत्येक जिला के कृषकों को इस प्रदर्शनी में आमंत्रित किया जाएगा ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों की कृषकों को जानकारी मिल सके एवं सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ मिल सके।

11. कृषक प्रशिक्षण :

11.1 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों/आत्मा/के.भी.के./एन.जी.ओ. के स्तर से कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके।

11.2 आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग, रख–रखाव तथा मरम्मति आदि के संबंध में कृषकों को जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु राज्य /जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दी जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के तौर जीरो टिलेज मशीन, थ्रेसर, पम्पसेट, रीपर, पावर टीलर प्राप्त कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तदोपरान्त अन्य कृषि यंत्र प्राप्त लाभान्वितों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

11.3 कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य विशेष प्रशिक्षण हेतु कृषकों को राज्य के बाहर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, जिस प्रयोजन हेतु जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषकों की सूची निदेशक, भूमि संरक्षण को उपलब्ध कराया जाएगी।

11.4 निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड द्वारा ठोस कार्यक्रम बनाकर कृषकों को राज्य से बाहर भारत सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित संस्थानों, यथा – CFMTTI, Budhni NRFMTTI, Hisar/CIAE Bhopal आदि जगहों पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही, तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरुकता अभियान के तहत भी कृषकों को राजकीय प्रक्षेत्र/कृषक के खेत में यंत्रों का प्रयोग कर जागरुक कराया जाएगा ताकि कृषक नये कृषि यंत्रों का अनुदानित दरों पर क्रय कर लाभ प्राप्त कर सके।

12. तकनीकी हस्तान्तरण एवं प्रत्यक्षण अभियान :

12.1 इसके तहत् उन्नत/आधुनिक यांत्रिकीकरण तकनीकी को कृषकों तक पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

12.2 उन्नत कृषि यंत्रों, औजारों, मशीनों के बारे में कृषि यांत्रिकीकरण प्रत्यक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत् वाहन, बाईक, माईक, बैनर, पोस्टर/लिफलेट्स/पम्पलेट्स एवं विशेषज्ञ के साथ जिले के सभी प्रखण्डों/ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी हस्तानान्तरण एवं प्रत्यक्षण अभियान चलाया जाएगा।

12.3 इस प्रकार के कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाऐंगे, जिसमें योजना में शामिल किये गए सभी प्रकार के घटक यंत्रों के नमूना प्रदर्शित किए जाऐंगे तथा इनका प्रचार–प्रसार कर कृषकों को बुलाया जायेगा।

12.4 ऐसे यंत्रों का प्रत्यक्षण कर कृषि अभियन्ता/कृषि वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी जायेगी एवं यंत्र से संबंधित लिफलेट/बुकलेट भी कृषकों को उपलब्ध कराए जाऐंगे।

12.4 कृषक प्रशिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरुकता अभियान कार्यक्रम के लिए जैसमिन/समेति/आत्मा/प्रशिक्षण केन्द्रों को निधि की व्यवस्था की जायेगी।

13. अनुश्रवण :

13.1 जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी / भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने वाले लाभुक कृषकों की जिलावार सूची यंत्रवार भूमि संरक्षण निदेशालय (www.jharkhandsoil.gov.in) /समेति (www.sameti.org) /कृषि विभाग/भारत सरकार के संबंधित कार्यक्रम के वेबसाईट पर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के उपरान्त प्रविष्टि की जाएगी।

13.2 जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी / भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ विगत माह के लाभान्वित कृषकों की सूची की एक प्रति निदेशक, भूमि संरक्षण को उपलब्ध करायेंगे, जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। **(परिशिष्ट–8)**

13.3 निम्नांकित तालिका के अनुसार वितरित किए गए कृषि यंत्रों का संबंधित पदाधिकारीगण के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा जांचोपरांत नोडल पदाधिकारी–सह–निदेशक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। इस क्रम में स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति स्तंभ में अंकित किया जाएगा :

क्र.	वितरित यंत्रों की लागत अधिसीमा (रू. में)	क्र.	सत्यापन पदाधिकारी	न्यूनतम सत्यापन प्रतिशत
I	10000.00 (दस हजार) से कम	1	जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी	10
		2	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	40
		3	जनसेवक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेशज्ञ	100
II	10000.00–25000.00 तक	1	संयुक्त कृषि निदेशक	10
		2	जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी	20
		3	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	40
		4	जनसेवक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेशज्ञ	100
III	25000.00 – 1,00,000.00 तक	1	संयुक्त कृषि निदेशक	25
		2	जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी	100
		3	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	100
		4	जनसेवक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेशज्ञ	100
IV	100000.00 से अधिक	1	संयुक्त कृषि निदेशक	50
		2	जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी	100
		3	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी	100
		4	जनसेवक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेशज्ञ	100

उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यक्तिगत कृषि यंत्र उपकरण निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे तथा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन निदेशक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहेगा।

13.4 वितरित कृषि यंत्रों का औचक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कृषि अभियंताओं/राज्य स्तरीय गठित जॉच दल द्वारा भी किया जायेगा।

निदेशक, भूमि संरक्षण झारखण्ड के द्वारा विभागीय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य स्तरीय जांच दल का गठन किया जाएगा।

13.5 कृषि अभियंताओं/राज्य स्तरीय गठित जॉच दल द्वारा जिले में वितरित कृषि यंत्रों का औचक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किसानों के घर पर जाकर किया जायेगा एवं जॉच प्रतिवेदन तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।

13.6 संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण)/उप निदेशक भूमि संरक्षण/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) /प्रभारी पदाधिकारी, जे.ए.एम.टी.टी.सी. सभी जिलों का दौरा करेंगे एवं विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत यंत्रों के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षोपरांत स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ निदेशक, भूमि संरक्षण झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।

13.7 वित्तीय वर्ष के अंत में लाभान्वित कृषकों की पूर्ण सूची की साफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र में जिला कृषि पदाधिकारी स्पाईरल बाईडिंग कराकर नोडल पदाधिकारी/निदेशक, भूमि संरक्षण झारखण्ड को निश्चित रुप से अप्रैल की 15 वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14.अन्यान्य :

14.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायगा।

14.2 एक लाख रुपये या उससे अधिक के अनुदान वाले कृषि यंत्र /25 एच.पी. से अधिक अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर/कम्बाईन हार्वेस्टर बैंक ऋण आधार पर उपलब्ध कराए जाऐंगे।

14.3 नकद पत्र (Cash Memo) मूल (Original) में होना चाहिए, जिस पर यंत्र का Specification (यंत्र का अश्वशक्ति/क्रमांक/मेक/मॉडल/साईज/टाईन अंकित हो) एवं ऐसेसरीज में ऐसेसरीज का नाम स्पष्ट रुप से अंकित हो।

14.4 फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर भैट (VAT) कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला स्थित सेल टैक्स कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह के समाप्ति पर दी जाए तथा वित्तीय वर्ष के बाद पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना दी जाए ताकि क्रास चेकिंग हो सके। (वैट कटौती से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में परिपत्र–संलग्न है। **(परिशिष्ट–14)**

14.5 आपूर्तिकर्ता/एजेन्सी द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों (रु 5000 से कम अनुदान वाले छोटे यंत्र/मानव–पशु चालित कृषि यंत्र को छोड़कर) पर प्लेट निश्चित रुप से लगी होनी चाहिए, जिस पर योजना का नाम, जिला का नाम, वित्तीय वर्ष, आदि अंकित रहे।

14.6 स्वीकृत्यादेश में वर्णित यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा।

14.7 यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

संकल्प सं.– 1251 दिनांक : 08/05/2012

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

8.5.12

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-1क (कंडिका-4.1)

कृषि यांत्रिकीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों/सामग्री पर अनुदान की राशि

क्र सं.	कृषि यंत्र/सामग्री का नाम	अनुदान दर केन्द्रांश	अनुदान दर राज्यांश	प्रासंगिक केन्द्रीय योजना
	ट्रैक्टर (25.1–40.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस. तथा भारत सरकार/सी.एफ.एम. टी.आई से अनुमोदित।	25% या अधिकतम 45,000.00	25% या अधिकतम 1,25,000.00	आर.के.भी.वाई./एम. एम.ए.
	मिनी ट्रैक्टर (16.0–25.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस. तथा भारत सरकार/सी. एफ.एम.टी.आई से अनुमोदित।	.25% या अधिकतम 45,000.00	25% या अधिकतम 1,00,000.00	आर.के.भी.वाई./एम. एम.ए.
	ट्रैक्टर (40.1–60.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस.)	–	50% या अधिकतम 2,50000.00	
	हाइड्रोलिक ट्रेलर नये टायर–टयूब के साथ	25% या अधिकतम 20,000.00	25% या अधिकतम 20,000.00	आर.के.भी.वाई.
	पावर टीलर (8–16 अधिकतम पावर एच.पी. तथा भारत सरकार/सी.एफ.एम.टी.आई से अनुमोदित)	40% या अधिकतम 45,000.00	40% या अधिकतम 35,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	रोटरी टीलर (2–8 एच.पी. अधिकतम पावर)	40% या अधिकतम 25,000.00	40% या अधिकतम 40,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	लेजर गाईडेड लैंड लेवलर	25% या अधिकतम 40,000.00	60% या अधिकतम 2,10,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	ट्रैक्टर चालित पोटैटो प्लांटर/ डीगर/ रीपर/ क्लीनर कम ग्रेडर /पावर वीडर/ मिनी राइसमिल/ दाल मिल/ऑयल एक्सपेलर इत्यादि।	25% या अधिकतम 15,000.00	50% या अधिकतम 25,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	ट्रैक्टर चालित जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील / रेज्डबेड /मलटी क्राप/ प्लांटर/पोस्ट होल डीगर/ सब सॉयलर/ रोटावेटर/ हैपी सीडर/ रिपर/स्ट्रा रिपर इत्यादि।	40% या अधिकतम 20,000.00	35% या अधिकतम 15,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	ट्रैक्टर/ पावर टीलर चालित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ/ कल्टीवेटर/ डिस्क हैरो/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील/ षक्ति चालित रीपर/ हार्वेस्टर इत्यादि।	25% या अधिकतम 10,000.00	50% या अधिकतम 15,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर / सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम वाइंडर/पैडी ट्रांसप्लांटर /या समकक्ष।	25% या अधिकतम 40,000.00	50% या अधिकतम 60,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.

	मानव चालित यंत्र	25% या अधिकतम 2,000.00	25% या अधिकतम 2,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	पशु चालित यंत्र	25% या अधिकतम 2,500.00	25% या अधिकतम 2,500.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	कोनोवीडर एवं मार्कर	50% या अधिकतम 3000.00	25% या अधिकतम 1,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	पावर कोनोवीडर	50% या अधिकतम 15,000.00	25% या अधिकतम 7,500.00	आ.र.के.भी. वाई./एन. एफ.एस.एम.
	हस्त चालित स्प्रेयर (16 लि. प्लास्टीक/ ब्रास)/राकर स्प्रेयर (25 मी. पाईप) / हस्त चालित डस्टर	50% या अधिकतम 3,000.00	25% या अधिकतम 1500.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम. राज्य योजना
	षक्ति चालित स्प्रेयर/डस्टर	50% या अधिकतम 3000.00	25% या अधिकतम 1,500.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर/डस्टर	25% या अधिकतम 4000.00	50% या अधिकतम 11,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	डीजल/विद्युत चालित पम्प सेट (1.95–5 एच0 पी0/1–3 किलो वाट तक)	50% या अधिकतम 10,000.00	25% या अधिकतम 5,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	डीजल/विद्युत चालित पम्प सेट (5.1–10 एच0 पी0/3.1–5 किलो वाट तक)	50% या अधिकतम 10,000.00	25% या अधिकतम 10,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए./ एन.एफ.एस.एम.
	सिंचाई पाइप पी0वी0सी0 90 एम.एम. /110एम.एम-4Kg./Cm² (1000' तक)	50% या अधिकतम 15,000.00	–	आ.र.के.भी. वाई.
	सिंचाई पाइप एच.डी.पी.ई. 63 एम.एम (3.2Kg./ Cm²) /75एम.एम. (2.5./Cm²) (1000' तक)	50% या अधिकतम 15,000.00	–	आ.र.के.भी. वाई.
	पावर थ्रेसर/ पावर मेज सेलर ।	25% या अधिकतम 12,000.00	50% या अधिकतम 18000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	कम्बाईन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड केवल समूह हेतु)	25% या अधिकतम 1,50,000.00	50% या अधिकतम 3,50,000.00	आ.र.के.भी. वाई./ एम. एम.ए.
	पावर चॉफ कटर /साईलेज कटर/श्रेडर	25% या अधिकतम 12,000.00	50% या अधिकतम 23,000.00	आ.र.के.भी. वाई.

नोट : 1. अंतिम रूप से केन्द्रांश अनुदान दर एवं राज्यांश अनुदान की दर वही होगी, जो समय –समय पर राज्यादेश के द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2. किसी अन्य कृषि यंत्र/ सामग्री को उपर्युक्त सूची में सम्मलित करने या स्थगित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

परिशिष्ट-1ख (कंडिका-4.1)

कृषि यांत्रिकीकरण योजनान्तर्गत कृषि उपकरण बैंक स्थापना हेतु अनुदान की राशि

क्र स.	कृषि यंत्र/सामग्री का नाम	अधिकतम अनुदान 75:
1	ट्रैक्टर (25.1–40.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस. तथा भारत सरकार/सी.एफ.एम. टी.आई से अनुमोदित।	75% या अधिकतम 3,50,000.00
2	मिनी ट्रैक्टर (16.0–25.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस. तथा भारत सरकार/सी. एफ.एम.टी.आई से अनुमोदित।	75% या अधिकतम 2,65,000.00
3	ट्रैक्टर (40.1–60.0 अधिकतम पी.टी.ओ. हार्स पावर पी.एस.)	75% या अधिकतम 4,50,000.00
4	हाइड्रोलिक ट्रेलर नये टायर–ट्यूब के साथ	75% या अधिकतम 60,000.00
5	पावर टीलर (8–16 अधिकतम पावर एच.पी. तथा भारत सरकार/सी.एफ.एम.टी.आई से अनुमोदित)	75% या अधिकतम 1,20,000.00
6	रोटरी टीलर (2–8 अधिकतम पावर एच.पी.)	75% या अधिकतम 1,00,000.00
7	लेजर गाईडेड लैंड लेवलर	75% या अधिकतम 3,00,000.00
8	ट्रैक्टर चालित पोटैटो प्लांटर/ डीगर/रीपर/ क्लीनर कम ग्रेडर / पावर वीडर/मिनी राइसमिल/दाल मिल/ ऑयल एक्सपेलर इत्यादि।	75% या अधिकतम 60,000.00
9	ट्रैक्टर चालित जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील / रेज्डबेड /मलटी क्राप/ प्लांटर/पोस्ट होल डीगर/ सब सॉयलर/ रोटावेटर/हैपी सीडर/ रिपर/स्ट्रा रिपर इत्यादि।	75% या अधिकतम 50,000.00
10	ट्रैक्टर/ पावर टीलर चालित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ/ कल्टीवेटर/ डिस्क हैरो/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील/ षक्ति चालित रीपर/हार्वेस्टर इत्यादि।	75% या अधिकतम 50,000.00
11	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर / सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम वांइडर/पैडी ट्रांसप्लांटर /या समकक्ष।	75% या अधिकतम 1,50,000.00
12	डीजल/विद्युत चालित पम्प सेट (1.95–5 एच. पी./1–3 किलो वाट तक)	75% या अधिकतम 25,000.00
13	डीजल/विद्युत चालित पम्प सेट (5.1–10 एच. पी./3.1–5 किलो वाट तक)	75% या अधिकतम 30,000.00
14	सिंचाई पाइप एच.डी.पी.ई. 63 एम.एम. (3.2Kg./Cm²) /75एम.एम. (2.5/Cm²) (1000' तक)	75% या अधिकतम 25,000.00
15	पावर थ्रेसर/ पावर मेज सेलर ।	75% या अधिकतम 45,000.00
16	कम्बाईन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड)	75% या अधिकतम 5,00,000.00
17	पावर चॉफ कटर /साईलेज कटर/श्रेडर	75% या अधिकतम 60,000.00

नोट : 1. अंतिम रूप से केन्द्रांश अनुदान दर एवं राज्यांश अनुदान की दर वही होगी, जो समय –समय पर राज्यादेश के द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2. किसी अन्य कृषि यंत्र/ सामग्री को उपर्युक्त सूची में सम्मलित करने या स्थगित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(परिशिष्ट–2)(कंडिका 6.11/7.2.2)

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवदेन का क्रमांक .... दिनांक .... वित्तीय वर्ष ....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. कृषक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. ग्राम .... डाकघर .... पंचायत .... प्रखण्ड .... अनुमंडल .... जिला .... दूरभाष/मोबाईल सं0– ....
4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में/चिन्ह लगायें)

   अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जन जाति ( ) पिछड़ी जाति ( )

   अत्यंतपिछड़ी जाति ( ) अल्प संख्यक ( ) महिला ( ) सामान्य ( )
5. उम्र (जन्म तिथि) – वर्ष .... महीना .... दिन ....
6. पहचान चिन्ह : ....
7. कृषक के पास उपलब्ध भू–धारिता का विवरण (पावर टीलर पर अनुदान के लिए न्यूनतम 1.0 एकड़/छोटे ट्रैक्टर 25 अश्वशक्ति तक के लिए 2.0 एकड़/25 अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिए 5.0 एकड़/कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए 5 एकड़ भू–धारिता अनिवार्य है। अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न किया जायेगा)।

   ग्राम : .... खाता सं. : .... खेसरा सं. : .... रकबा(एकड़ में) : ....

   अन्य छोटे कृषि यंत्र (रू. 25000/– तक की लागत) के लिए कम से कम आधा एकड़ भू–धारिता का प्रमाण या पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/कर्मचारी/क्षेत्र पर्यवेक्षक या प्राधिकृत कर्मचारी से पहचान आवश्यक होगी।
8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण–

   (क) यंत्र का मेक/मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रान्ड नाम–

   (ख) यंत्र की अश्व षक्ति /विशिष्टता–

   (ग) यंत्र का निर्धारित मूल्य–
9. मैं पूरे मूल्य का नगद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ। (जो लागू नहीं हो उन्हें काट दें)
10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है।

    प्रमाणीत किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। अनुदानित दर पर क्रय किये कृषि यंत्र का मैं स्वंय उपयोग करुँगा/करुँगी। इसे 5 वर्ष तक न तो हस्तांतरित करुँगा/करुँगी और न ही इसे बेचुँगा/बेचुँगी। मैं जानता/जानती हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने के बाद प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे वसूली जायेगी एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

किसान का हस्ताक्षर/अँगुठे का निशान एवं तिथि

अनुशंसा

मैं आवेदक किसान को जानता हूँ। ये स्वंय कृषि कार्य करते हैं। इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर ये कृषि का कार्य बेहतर तरीके कर सकते है। इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

क्षेत्र पर्यवेक्षक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/या प्राधिकृत कर्मचारी/ पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/कर्मचारी/ सदस्य का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर।

(परिशिष्ट-3)(कंडिका 5.2.3)

प्रखण्ड स्तरीय कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवदेन का क्रमांक .... दिनांक .... वित्तीय वर्ष ....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. संस्था/समिति/समूह का नाम –
2. संस्था/समिति/समूह के सचिव/प्रमुख का नाम –
3. संस्था/समिति/समूह का पता–

   ग्राम .... डाकघर .... पंचायत..................... प्रखण्ड................ जिला................ दूरभाष/मोबाईल सं. ....
4. संस्था/समिति/समूह के सदस्यो की संख्या– (उपयुक्त श्रेणी में भरें)

   अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जन जाति ( ) पिछड़ी जाति ( )

   अत्यंतपिछड़ी जाति ( ) अल्प संख्यक ( ) महिला ( ) सामान्य ( )
5. संस्था/समिति/समूह के निबंधन कि तिथी– वर्ष .... महीना .... दिन ....
6. निबंधन का प्रकार एवं संख्या –
7. संस्था/समिति/समूह का प्रस्तावित कार्य क्षेत्र–

   जिला .... प्रखण्ड .... पंचायत ....

   1...2...3...

   ग्राम– 1..................................2..................................3..................................4..................................5..................................

   6.................................... 7...................................8...................................9...................................10...................................
8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण–

   (क) यंत्र का मेक/मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रान्ड नाम/पैकेज सं.– (विवरणी संलग्न करें)–

   (ख) यंत्र के रख रखाव हेतु यंत्र शेड की आवश्यकता–(स्थल की विवरणी संलग्न करें)–

   (ग) यंत्रों का कुल निर्धारित मूल्य– (घ) यंत्र शेड की प्राक्कलित राशि–

   (ङ) अनुदान की कुल राशि–
9. संस्था/समिति/समूह पूरे मूल्य का नगद भुगतान / विक्रेता से अनुदानित दर/ बैंक ऋण लेकर कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहती है। (जो लागू नहीं हो उन्हें काट दें)
10. संस्था/समिति/समूह द्वारा पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर कृषि यंत्र उपकरण बैंक हेतु यंत्र नहीं लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपकरण बैंक हेतु क्रय किये कृषि यंत्र का उपयोग सभी कृषकों के लिये करुँगा/करुँगी। इसे 5 वर्ष तक न तो हस्तांतरित करुँगा/करुँगी और न ही इसे बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता/जानती हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने के बाद प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत वसूली जायेगी एवं मेरे विरुद्ध अन्य विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

संस्था/समिति/समूह के

सचिव/ प्रमुख का हस्ताक्षर–

दिनांक– नाम– पदनाम –

अनुशंसा

मैं संस्था/समिति/समूह के सचिव/ प्रमुख को जानता हूँ। इन्हें अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपकरण बैंक हेतु कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर ये कृषि यंत्र का उपयोग सभी कृषकों के लिये करेंगे। इन्हें इन्हें अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपकरण बैंक हेतु कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

क्षेत्र पर्यवेक्षक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/या प्राधिकृत कर्मचारी/ मुखिया/कर्मचारी/ पंचायत प्रतिनिधि/ सदस्य का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर।

(परिशिष्ट-4) (कंडिका 7.2.3)

आवेदन प्राप्ति रसीद

कृषक / संस्था/समिति/समूह का नाम :

पिता/पति/संस्था/समिति/समूह के सचिव/प्रमुख का नाम :

ग्राम .... प्रखण्ड ....

जिला .... से ....(यंत्र का नाम)/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक

कि स्थापना /क्रय हेतु अनुदान के लिये विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन का क्रमांक ....

दिनांक .... वित्तीय वर्ष है।

प्राप्तकर्त्ता का पूरा नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

नोट :– आवेदन पत्र किसान के द्वारा भरा जायेगा एवं इसके आलोक में प्राप्ति रसिद निर्गत की जायेगी। किसान आवेदन पत्र का प्रपत्र हस्तलिखित भरकर अथवा टंकित रुप में जमा कर सकते है। आवेदन पत्र के अतिरिक्त जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन का खण्ड संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही भरा जायेगा।

(परिशिष्ट-5) (कंडिका 5.2.5)

त्रैमासिक प्रतिवेदन

कार्यालय का नाम :-　　　　　　　　माह का नाम :-

क्र. सं.	कृषक का नाम	प्रखण्ड	ग्राम	कृषि यंत्र का नाम	वितरण की तिथि	कुल मूल्य	दी गई अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी

परिशिष्ट-6 (कंडिका 5.2.8)

कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना हेतु प्रारूप

मैं .... नाम ....

पदनाम .... संस्था का नाम .... ग्राम ....,

प्रखण्ड ...., जिला ...., राज्य .... कृषि

यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना हेतु प्राप्त यंत्रों के संबंध में निम्नलिखित एकरारनामा/घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्सहन योजना के कार्यान्वयन अनुदेशों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा दिये गये निदेश/आदेश का अक्षरशः पालन करूँगा/करुँगी।
2. अनुदानित दर पर प्राप्त कृषि यंत्रों/मशीनों की कम से कम पाँच वर्षो तक बिक्री/हस्तांतरण नहीं करूँगा/करुँगी, अगर बिक्री करना अनिवार्य हुआ तो सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त कर ही अगली कार्रवाई करूँगा/करुँगी।
3. जाति/धर्म वर्ग का भेद-भाव नहीं करते हुए सभी कृषकों को कृषि यंत्रों/मशीनों के किराये पर उपयोग करने का समान अधिकार होगा। पहले आवेदन देने वाले कृषक को यंत्र/मशीन पहले किराया पर दिया जायेगा।
4. अनुदानित दर पर प्राप्त कृषि यंत्रों/मशीनों का पूरी तरह सुरक्षा एवं रख-रखाव करूँगा/करुँगी।
5. कृषि यंत्रों/मशीनों के टूट-फूट की मरम्मती मैं स्वयं कराउँगा/कराउँगी और सरकार से इसका कोई दावा नहीं करूँगा/करुँगी।
6. कार्य के दौरान ट्रैक्टर/मशीन से यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही संस्था/समिति/समूह की होगी। सरकार से कोई क्षति पूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
7. विभाग को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी/अनियमितता पाये जाने पर दिये गये कृषि यंत्र/मशीन को वापस ले सकती है एवं दूसरे संस्था/समिति समूह को स्थानांतरित किया जा सकता है।
8. मेरे द्वारा कृषि यंत्र के किराये का दर बाजार के मूल्य से अधिक नहीं रखा जायेगा, किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित दर मुझे मान्य होगा।

संस्था/समिति/समूह के प्रमुख/सचिव का

हस्ताक्षर

(परिशिष्ट-7) (कंडिका 7.2.4)

कृषि यंत्र/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना पर अनुदान हेतु जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)

मैंने जाँच किया एवं तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि –

1. कृषक / संस्था/समिति/समूह का नाम : ....

   पिता/पति/संस्था/समिति/समूह के सचिव/प्रमुख का नाम : ....

   ग्राम .... डाकघर .... पंचायत ....
   प्रखण्ड .... अनुमंडल..जिला .... के
   किसान/ संस्था/समिति/समूह के सचिव/प्रमुख है एवं उक्त पते पर रहते है।

2. इनके द्वारा आवेदन पत्र में भू-धारिता/ संस्था/समिति/समूह के निबंधन के संबंध में दिया गया विवरण सही है। इनके पास............................एकड़ जमीन है (भू-धारिता के संबंध में जाँच उन्ही कृषि यंत्रों के लिये प्रासंगिक होगा जिनमें भू-धारिता से संबंध में विभाग द्वारा व्यवस्था विहित की गयी है अन्यथा इस खंड को काट दिया जायेगा।/ इनके पास यंत्र के रख रखाव हेतु यंत्र शेड के निर्माण हेतु सुलभ आवागमन के साथ ....एकड़, जमीन उपलब्ध है।

3. इन्हें पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) वर्षों में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है।

   मैं उक्त कृषि यंत्र/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना पर अनुदान हेतु पर सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी
अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम/ पदनाम
एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

(परिशिष्ट-8) (कंडिका 13.2)

मासिक प्रतिवेदन

कार्यालय का नाम :-

माह का नाम :-

क्र. सं.	कृषक का नाम	प्रखण्ड	ग्राम	कृषि यंत्र का नाम	वितरण की तिथि	कुल मूल्य	दी गई अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी

(परिशिष्ट–9) (कंडिका 7.4.4)

बैंक शाखा द्वारा कृषि यंत्रों /अनुदानित दर पर कृषि यंत्रो के क्रय / कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना का ऋण स्वीकृति/वितरण संबंधी प्रतिवेदन

1. कृषक / संस्था / समिति / समूह का नाम : ....

   पिता / पति / संस्था / समिति / समूह के सचिव / प्रमुख का नाम : ....

   ग्राम .... डाकघर .... पंचायत ....

   प्रखण्ड .... अनुमंडल .... जिला ....

2. योजना का नाम :–
3. बैंक शाखा का नाम एवं पता :–
4. कृषि यंत्र का नाम / पैकेज सं. :–
5. कृषि यंत्र की अश्व शक्ति / पी.टी.ओ. :–
6. आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :–
7. कृषि यंत्र का कुल मूल्य :–
8. कृषि यंत्र का मेक / मॉडल / ब्राण्ड :–
9. कृषि यंत्र का इंजन संख्या / क्रमांक सं.:–

   (क) चेचिस संख्या :–

10. कृषि यंत्र कहाँ से जाँच किया हुआ है : (प्ध्डज्ज्दै.।प्धेजंजम ज्मेजपदह बमदजतम आदि)

(क) ऋण स्वीकृत संबंधी विवरण :–

(i) ऋण स्वीकृति की तिथि : (ii) स्वीकृत ऋण की राशि :

(iii) ऋण स्वीकृति का खाता सं. / चालू / बचत / खाता सं. / स्वीकृति आदेश सं. : अथवा

(ख) ऋण वितरण संबंधी विवरण :–

(i) ऋण वितरण की तिथि : (ii) स्वीकृत ऋण की राशि :

(iii) ऋण खाता सं. :

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :– इसके साथ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र, प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कृषि यंत्र का कैशमेमो / कोटेशन एवं आवासीय / पहचान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रति संलग्न की जाय।

ज्ञापांक :– राँची / दिनांक :

प्रतिलिपि :– .... को सूचनार्थ एवं अनुदान विमुक्ति हेतु प्रेषित।

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

(परिशिष्ट-10) (कंडिका 7.6.3)

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति पत्र

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

कृषक / संस्था/समिति/समूह का नाम :-..

पिता/पति/संस्था/समिति/समूह के सचिव/प्रमुख का नाम :-..

ग्राम .... डाकघर .... पंचायत ....

प्रखण्ड .... अनुमंडल.. जिला .... के आवदेन पत्र की जाँच की गई है एवं सही पाया गया है।

1. आप .... (कृषि यंत्र का नाम)/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना पर अनुदान की पात्रता रखते है। आप के द्वारा उक्त कृषि यंत्र के क्रय/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना करने पर आपको मूल्य का .... प्रतिशत अधिकतम रु. ....(..) रुपया अनुदान देय है।
2. आप अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से आवेदन में दिये गये मेक/मॉडल/अश्व शक्ति के कृषि यंत्रों को खरीद सकते हैं।
3. कृषि यंत्र/ कृषि यंत्र उपकरण बैंक के लिये कृषि यंत्रों के क्रय करने के बाद क्रय संबंधी कैशमेमो

मूल में भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करें। कैशमेमों में अनिवार्य रुप से इंजन संख्या/क्रम सं. लिखा होना चाहिए।

4. नियमानुसार अनुदान की राशि क्रय किये गये कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात आप के नाम एकाउंट पेयी चेक/ आ.र.टी.जी.एस. या विक्रेता के नाम एकाउंट पेयी चेक/ आ.र.टी.जी.एस. या आपके बैंक ऋण खाते में जमा किया जायेगा (जो लागू नहीं हो उसे काट दे)

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/
जिला कृषि पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं तिथि

(परिशिष्ट-11) (कंडिका 7.6.5)

अनुदान दावा प्रपत्र

फर्म का नाम एवं पता

पत्र सं: .... दिनांक: ....

टिन नं. .... वैट नं. ....

कृषक / संस्था / समिति / समूह का नाम :— ....

पिता / पति / संस्था / समिति / समूह के सचिव / प्रमुख का नाम :— ....

पता / ग्राम .... पंचायत .... प्रखण्ड .... जिला ....

विपत्र सं.	यंत्र का नाम	इंजन सं.	चेचिस सं.	कम्पनी का नाम	मेक / मॉडल	अश्व शक्ति	कुल कीमत	कृषक द्वारा देय राशि	अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

किसान का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कृषि यंत्र का वितरण विक्रेता के द्वारा कृषक / संस्था / समिति / समूह का नाम .... को वितरण किया गया है। इसका भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया जा चुका है। विक्रेता द्वारा दावा किये गये अनुदान राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा किया जाता है।

सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी

नोट : (क) विपत्र तीन प्रति में होगा। प्रथम विपत्र समेकित विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
(ख) विक्रेता अपना कुल विपत्र के साथ एक समेकित विपत्र भूमि संरक्षण पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

भुगतान आदेश

मो. .... ( ) रू. का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भूमि संरक्षण पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी
(मुहर के साथ)

(परिशिष्ट-13) (कंडिका 10.1.4)

अभिलेख प्रपत्र

(1) किसान/संस्था का नाम : ....

(2) ग्राम : ....

(3) प्रखण्ड : ....

(4) कार्यालय का नाम : ....

(5) कृषि यंत्र का नाम: ...., मेक : ...., मॉडल : ....

(6) कृषि यंत्र प्राप्ति की तिथि : ....

(7) कृषि यंत्र का मूल्य : ...., अनुदान की राशि : ....

(8) आपूर्तिकर्त्ता का नाम एवं पता : ....

(9) फोटोग्राफ :

फोटोग्राफ

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी
अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी का

नाम..........

पदनाम..........

हस्ताक्षर ....

तिथि..........

(परिशिष्ट-12)

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र के क्रय/कृषि यंत्र उपकरण बैंक की स्थापना का भौतिक/ उपयोगिता सत्यापन संबंधित विहित प्रपत्र (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

कृषक / संस्था / समिति / समूह का नाम : ....

पिता / पति / संस्था / समिति / समूह के सचिव / प्रमुख का नाम : ....

ग्राम .... डाकघर .... पंचायत ....

प्रखण्ड .... अनुमंडल..जिला .... के

घर जा कर जाँच की गई एवं इंजन संख्या /क्रम सं.. कृषि यंत्र पाया गया है। कृषि यंत्र का उपयोग

कृषक / संस्था / समिति / समूह जुताई / ढुलाई / सिंचाई / अन्य कार्य .... में करते है। कृषक / संस्था / समिति / समूह कृषि यंत्र से संतुष्ट है।

किसान का हस्ताक्षर /

अँगुठे का निशान एवं तिथि

भूमि संरक्षण पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी

अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी का

नाम..

पदनाम..

हस्ताक्षर ....

तिथि..

(परिशिष्ट-14)

समेकित विपत्र का प्रारुप

फर्म का नाम एवं पता

टीन नं. :– ....

भी.टी.ए. नं. :– ....

फोन नं. :– ....

क्र.	दिनांक	विपत्र का नं.	किसान का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषि यंत्र का नाम	मात्रा (सं. में)	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
कुल										

कुल प्राप्त राशि .... रु./(शब्दों .... में)।

कुल अनुदान की राशि .... रु./(शब्दों .... में)।

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/
जिला कृषि पदाधिकारी
द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विक्रेता का हस्ताक्षर
एवं मुहर

Kilworth

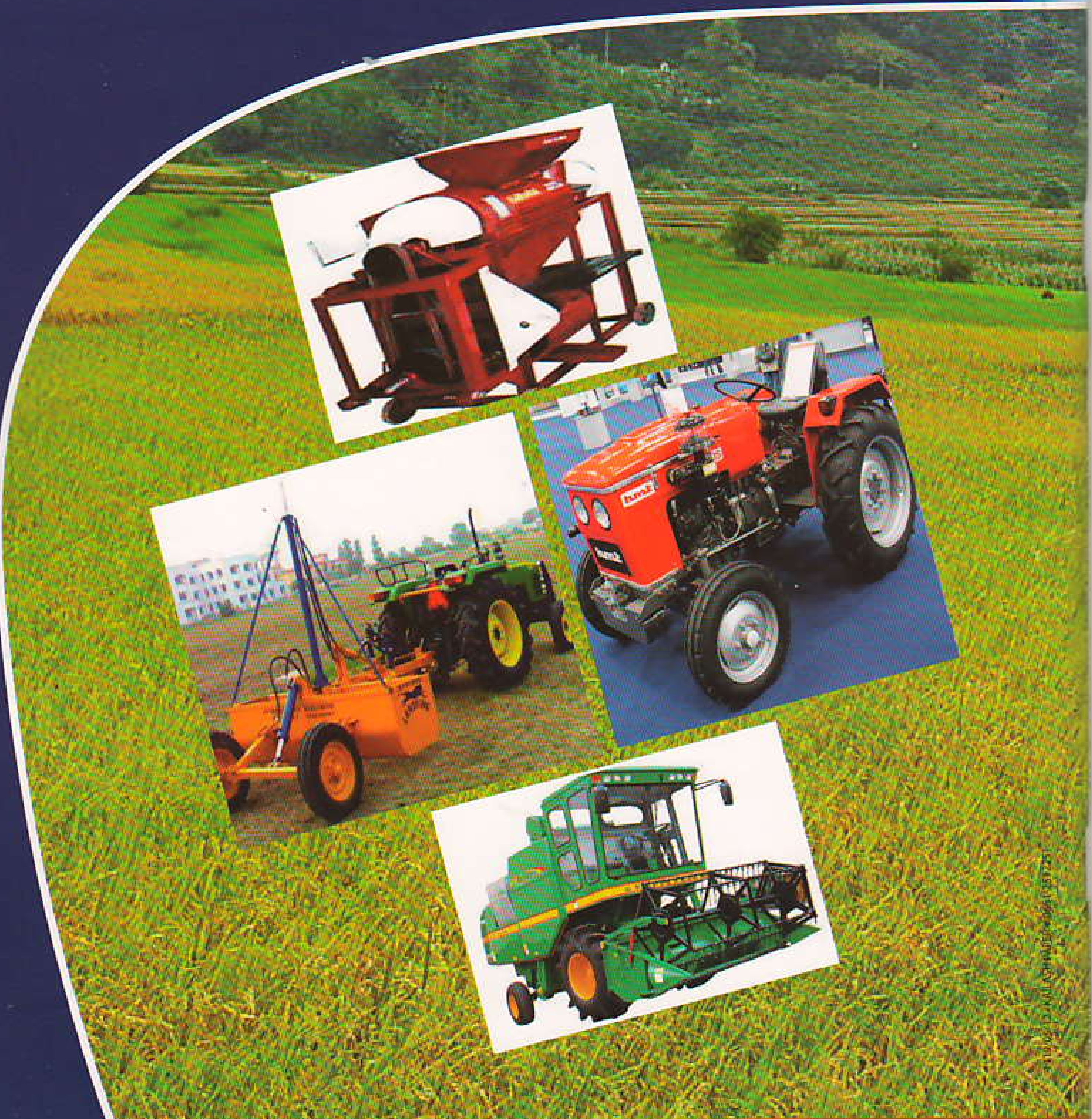

विशेष जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

निदेशक,

भूमि संरक्षण

झारखण्ड, राँची

भूमि संरक्षण निदेशालय

कृषि भवन, काँके रोड, राँची 834 008

e-mail : jharkhandsoil@gmail.com

website : jharkhandsoil.gov.in